UPBS120000312021

न्यायालय सिविल जज (जू०डि०) खलीलाबाद स्थान– बस्ती।

मूलवाद सं० 25/2021

विनोद पाल बनाम ग्राम पंचायत आदि

<u>12.01.2021</u>

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थना पत्र कागज सं० 6ग२ पर वादीगण के विद्वान अधिवक्ता को एकपक्षीय रूप से सुना तथा पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि वादीगण द्वारा विवादित भूमि गाटा सं० 344 रकबा 0.112 हे० एवं गाटा सं० 345 रकबा 0.0250 हे० के संबंध में अस्थायी निषेधाज्ञा की याचना के साथ प्रस्तुत किया गया है। वादीगण द्वारा अपने अभिकथन के समर्थन में सबूत सूची कागज सं० 9ग1 द्वारा छायाप्रति नोटिस अन्तर्गत धारा 106 पंचायत राज अधिनियम एवं नोटिस अन्तर्गत धारा 80 दीवानी प्रक्रिया संहिता कागज सं० 11ग1/1 लगायत 11ग1/10, नकल खतौनी कागज सं० 12ग1, नकल खसरा कागज सं० 13ग1, नकल जोत चकबन्दी आकार पत्र–41 कागज सं० 14ग1, दाखिल किया गया है। खतौनी के अवलोकन से विदित होता है कि विवादित भूमि आराजी सं० 345 आबादी तथा आराजी सं० 344 बंजर के रूप में दर्ज है। प्रतिवादी सरकार है। अतः ऐसी स्थिति में बिना प्रतिवादीगण को सुने एकपक्षीय आदेश पारित किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

<u>आदेश</u>

प्रतिवादीगण को नोटिस जारी हो। वादीगण पैरवी अन्दर तीन दिवस करे। पत्रावली वास्ते निस्तारण प्रार्थना पत्र 6ग२ दिनांक–27.01.2021 को पेश हो।

प्रभारी सिविल जज (जू०डि०)
खलीलाबाद स्थान– बस्ती।